Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding single window sysem for postmortem cases.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं । जब कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के पश्चात सामान्यतया पोस्टमार्टम होता है । …(व्यवधान) व्यक्ति दुर्घटना के दुख में होता है, परंतु पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, वह पुन: उसकी तकलीफ को बढ़ाती है । सबसे पहले पंचनामा कराना होता है । वह चाहे घटनास्थल पर हो या संबंधित थाने के अंदर हो । उसके बाद वह मॉर्चूअरी जहां होती है, उसके थाने में उसकी रिपोर्ट की जाती है, तो वह पोस्टमार्टम के लिए इजाजत देता है । …(व्यवधान) फिर वह विषय वहां से पुलिस लाइन में जाता है । पुलिस लाइन में जाने के बाद जो संबंधित एस.पी. होता है, वह पोस्टमार्टम की इजाज़त देता है । उसके बाद सी.एम.ओ., जो जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा दो डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है । उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । …(व्यवधान) यदि रात्रि में पोस्टमार्टम की जरूरत पड़े तो जिला अधिकारी के द्वारा उसकी अनुमति दी जाती है । इस सारी प्रक्रिया में जो पीड़ित परिवार है, जो पहले से ही बहुत दुखी होता है, जो चक्कर लगाता रहता है, उसको इस सबका कोई अनुभव नहीं होता है । भगवान न करे कि इस प्रकार का किसी को अनुभव हो । …(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये यारी व्यवस्था एकल खिड़की के माध्यम से की जाए । उसको इधर-उधर भागना न पड़े । मानवीय आधार के ऊपर उसकी तकलीफ और ज्यादा न बढ़े । उसका पोस्टमार्टम एक ही जगह पर ही करने की व्यवस्था की जाए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती गोमती साय – उपस्थित नहीं ।

माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ सदस्य हैं । जब शून्य काल शुरू हो गया है तो उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है ।

…(व्यवधान)